रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927

No. 143] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 210(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

"सं0आ0 207"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2005

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2005 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित के राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि पर भारित होगी,—

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :-

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	7602.00
बिहार	5437.50
छत्तीसगढ़	6300.59
गुजरात	17402.18
हरियाणा	2941.75
हिमाचल प्रदेश	1328.46
केरल	6592.58
मध्य प्रदेश	5054.50
महाराष्ट्र	19701.88
मिजोरम	157.11
उड़ीसा	13823.52
पंजाब	2902.62
राजस्थान	24547.40
तमिलनाडु	6726.76
त्रिपुरा	853.78
उत्तर प्रदेश	11671.33
उत्तरांचल	4560.00
पश्चिमी बंगाल	5777.29

परंतु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज सस्थाओं को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी:

परंतु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां,-

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	3293.14
बिहार	670.47
गुजरात	6626.15
हरियाणा	732.80
हिमाचल प्रदेश	116.76
कर्नाटक	6240.98
केरल	1504.91
मध्य प्रदेश	2548.00
महाराष्ट्र	3162.55
मिजोरम	76.89
उड़ीसा	799.20

पंजाब	1094.53
राजस्थान	2971.06
तमिलनाडु	5741.66
त्रिपुरा	80.32
उत्तर प्रदेश	4557.64
उत्तरांचल	475.00
पश्चिमी बंगाल	3949.78

परंतु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी:

परंतु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में यथाअंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के निबंधनों के अनुसार और अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी:

परंतु यह भी कि राज्यों को न दी गई रकम और राज्यों को दी गई ऐसी रकम जो उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए 31 मार्च, 2005 तक उपयोग नहीं की गई है, राजवित्तीय सुधार सुविधा के अन्तर्गत प्रोत्साहन निधि में स्थानांतरित कर दी जाएंगी ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए.पी.जे.अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(5)/05-वि. I]
टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 210(E).—The following Order made by the President is published for general information:-

"C.O.207"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 4 ORDER, 2005

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2005.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (*1*) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2004, as grants-in-aid of the revenues of –

(*a*) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions:–

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7602.41
Bihar	5437.50
Chhattisgarh	6300.59
Gujarat	17402.18
Haryana	2941.75
Himachal Pradesh	1328.46
Kerala	6592.58
Madhya Pradesh	5054.50
Maharashtra	19701.88
Mizoram	157.11
Orissa	13823.52
Punjab	2902.62
Rajasthan	24547.40
Tamil Nadu	6726.76
Tripura	853.78
Uttar Pradesh	11671.33
Uttaranchal	4560.00
West Bengal	5777.29:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Eleventh Finance Commission contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies:–

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	3293.14
Bihar	670.47
Gujarat	6626.15
Haryana	732.80
Himachal Pradesh	116.76
Karnataka	6240.98
Kerala	1504.91
Madhya Pradesh	2548.00
Maharashtra	3162.55
Mizoram	76.89
Orissa	799.20
Punjab	1094.53
Rajasthan	2971.06
Tamil Nadu	5741.66
Tripura	80.32
Uttar Pradesh	4557.64
Uttaranchal	475.00
West Bengal	3949.78

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Eleventh Finance Commission as contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants :

Provided also that the amount not released to States and amount released to the States but not utilised by them for this purpose by 31st day of March, 2005 will be transferred to Incentive Fund under Fiscal Reforms Facility.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(5)/05-L.I]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

10990L/2005-2